

कमलिय-विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी दिवतीय, गोरखपुर ।

अधिकार निर्णय पत्र

श्रीमान

स. 147 भूमि अध्याप्ति अधिनियम-1986 परगना व तपान हवेली तहसील-सदर, जनपद-गोरखपुर में समग्र ताल परियोजना के दिवतीय चरण में ओपन एरिया, डिप्लेटर, होटल निर्माण, , केप्टेरिया, रेस्टोरेन्ट, आदि के निर्माण हेतु जो सचिव, विकास प्राधिकरण गोरखपुर व इस अध्याप्ति की जा रही है और उप प्रो. शासन नगर विकास अनुभाग-5 के अधिसूचना सं. 3134/11-5-7(2) एल.ए.ओ. लखनऊ दि. 3, 1986 के अंतर्गत धारा 6 म. 17 (1) भूमि अध्याप्ति अधिनियम के अधीन यह निर्णय किया जाता है कि उस भूमि का अधिकार जो इस पत्र के संलग्न सूची में लिखी है हुई है और जिसका रकबा 499-56 रकबा है । इस पर अधिकार मेने आज दिनांक 30-10-86 को प्राप्त किया जो ग्राम-

तपान व परगना हवेली, तहसील-सदर, जनपद-गोरखपुर में स्थित है और उसे सचिव, विकास प्राधिकरण गोरखपुर को आज दिनांक 30-10-86 को फलाने हस्तक्षरित किया गया ।

अति आवश्यक

चूंकि ये भूमि अध्याप्ति की स्थिति वास्तविक है इसलिए लड़ी फसल को क्षति न पहुंचाते समय न पकवायी जाय तद्वत् उसे केसलेबल को पकने पर काटने दिया जाय जिसने म किया है । यदि किसी विशेष परिस्थिति में ऐसा करना सम्भव न हो और लड़ी फसल को पुरी कीमत फसल के बालिक को अ बा कर दें ।

जि. 2/86
ए.ओ.अधीन

संलग्न सूची

विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी
दिवतीय, गोरखपुर ।

संलग्न सूची में लिखी हुई भूमि पर अधिकारपाया । इसकी हदबन्दी देते सामने हुई और सरहदें गुले दिखाई गई हैं । पैमार्श लिखत सूची के अनुसार है और जो नफा जोषने पर 499-56 रकबा होता है ।

लिलारक-13पृष्ठ

सचिव,

गोरखपुर विकास प्राधिकरण,
गोरखपुर ।

received
two copies

30/10/86